रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 1, 1975/फाल्गुन 10, 1896
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 1, 1975/PHALGUNA 10, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 1st March 1975

No. DRAWBACK/PN-35/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No 52/F. No 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No 5008 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5008	Industrial automotive steel roller chains (other than those covered by sub-serial No. 5005) whether assembled or unassembled, and whether in running length or otherwise.	Rs. 0·90 (Paise ninety only) per kg

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1975

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-35/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 5008 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
5008	औद्योगिक स्वचालित स्टील रोलर जंजीर (जो उप-क्रमांक 5005 के अन्तर्गत नहीं आती) चाहे वह संयोजित हो अथवा असंयोजित, और चाहे लम्बाई में हो अथवा अन्यथा ।	0.90 (केवल नब्बे पैसे) प्रति किलोग्राम ।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी ।

No. DRAWBACK/PN-36/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 5005 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
5005	Bicycle chains, all sorts whether assembled or unassembled and whether in running length or otherwise (including connecting links; offset links; and riveting links).	Rs. 1·05 (Rupees one and paise five only) per kg.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-36/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० स० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 5005 और तत्संबन्धी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
5005.	सभी प्रकार की साइकिल की चैनें, चाहे वे संयोजित हों अथवा असयोजित हो और चाहे वे लम्बाई में हो अथवा अन्यथा (जिसमें जोड़ने वाली कड़िया, तोड़ने वाली कड़ियां तथा रिवट लगाने वाली कड़ियां शामिल है)	1.05 रु० (केवल एक रुपया पांच पैसे) प्रति किलोग्राम।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी।

No. DRAWBACK/PN-37/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK. published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 4611 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
4611.	Plastic electrical accessories mainly made of plastics and brass.	Rs. 4·50 (Rupees four and paise fifty only) per kg

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-37/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी के एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 4611 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
4611	प्लास्टिक से बने बिजली के उप-साधन, जो मुख्यत: प्लास्टिक और पीतल के बने हों।	4.50 रुपये (केवल चार रुपये पचास पैसे) प्रति किलोग्राम।

No. DRAWBACK/PN-38/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-item (d) of sub-serial No. 5006 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Description of goods	Rate of drawback
(d) Washers for bicycle spokes—	
(i) made of tin plate . . .	Rs. 954·70 (Rupees nine hundred fifty four and paise seventy only) per tonne.
(ii) Galvanised made of mild steel strips	Rs. 894·35 (Rupees eight hundred ninety four and paise thirty five only) per tonne.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन०-38/75—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिग्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 5006 की उप मद (घ) और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

माल का विवरण	प्रतिग्रदायगी की दर
(घ) साइकिल की तीलियों के लिए वाशर	
1. टिन प्लेट से बने	954.70 रु० (केवल नौ सौ चव्वन रुपये सत्तर पैसे) प्रति टन।
2. जस्तीकृत नर्म इस्पात की पट्टियों से बने	894.35 रु० (केवल आठ सौ चौरानवे रु० पैंतीस पैसे) प्रति टन।

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी।

No. DRAWBACK/PN-39/75.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK, published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971:—

For sub-serial No. 4804 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate of drawback
4804.	Plates for the lead acid storage batteries of the following types : (1) Automobile Batteries (2) Traction Batteries. (3) Train Lighting Batteries. (4) Stationery Batteries.	Rs. 2·35 (Rupees two and paise thirty five only) per kilogram.

This Public Notice shall be deemed to have come into force on the 1st day of November, 1974.

C. BHUJANGASWAMY,
Joint Director (Drawback).

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०-39/75.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्र० अ०) के नियम, 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रमांक 4804 तथा तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
4804	निम्नलिखित प्रकार की सीसा एसिड स्टोरेज बैटरियों के लिए प्लेटें : 1. आटोमोबाइल बैटरियां 2. ट्रैक्शन बैटरियां 3. रेल में प्रकाश करने वाली बैटरियां 4. स्थिर बैटरियां	2.35 रु० (केवल दो रुपये पैंतीस पैसे) प्रति कि० ग्रा०

यह सार्वजनिक सूचना नवम्बर, 1974 के प्रथम दिन से लागू हुई समझी जायगी ।

सी० भुजंगस्वामी,
संयुक्त निदेशक (प्रतिअदायगी)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975